न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 91/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स कट्टा स्वीट्स, 22, करबला चौराहा, रामगढ मोड, जयपुर फर्म।
2. श्री कमलकिशोर गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता निवासी 22, करबला चौराहा, रामगढ मोड जयपुर फर्म मालिक।

4. निर्णय दिनांक : 11.01.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 11.02.2015 को गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स कट्टा स्वीट्स पर पंहुचे। मौके पर एचपी के घरेलू सिलेण्डर को भट्टी से जोडकर कचोरी, समोसे व मिठाई बनायी जा रही थी। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपभोग किया जा रहा था। फर्म की छत पर मिठाइ बनाने का कारखाना भी चलाया जा रहा था। परन्तु कारखाने में घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। फर्म द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक उपयोग लिया जा रहा था एवं मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। मौके से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.900 किग्रा. एलपीजी का जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनकी दुकान कोविड के कारण बन्द कर दी गयी है। इसलिये प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें और इस प्रार्थना पत्र को बहस समझने की कृपा करें। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 11.01.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 11.02.2015 को जब्त घरेलू सिलेण्डर का अप्रार्थीगण द्वारा वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर घरेलू सिलेण्डर भट्टी से जोडकर उपयोग में लिया जा रहा था। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध वाणिज्यिक उपयोग किया जाना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.900 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर।